छत्तीसगढ़ : मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर

धमतरी, 31 अगस्त (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित धमतरी जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया है।

धमतरी जिले के पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि जिले के नगरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत घोरागांव के जंगल में रविवार रात सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नगरी थाना क्षेत्र में डीआरजी (डिस्ट्रिक रिजर्व गार्ड) के दल को गश्त पर रवाना किया गया था। दल जब घोरागांव के जंगल में था तब नक्सलियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस दल ने भी जवाबी कार्रवाई की।

पाकिस्तान का झंडा फहराया, गिरफ्तार

देवास (मप्र), 31 अगस्त (भाषा)।

मध्य प्रदेश के देवास जिले के क्षिप्रा गांव में अपने घर पर पाकिस्तान का झंडा फहराने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।जिला पुलिस अधीक्षक किरण शर्मा ने सोमवार को बताया कि क्षिप्रा गांव के निवासी फारुख खान को रविवार शाम को भादंसं की धारा 153 ए (धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश) के तहत गिरफ्तार किया गया है।

'मन की बात' वीडियो को 'नापंसद' करने के पीछे कांग्रेस का हाथ : भाजपा

नयी दिल्ली, 31 अगस्त (भाषा)।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के वीडियो को पार्टी द्वारा यूट्यूब पर पोस्ट किए जाने के बाद मिले 'नापंसद' का 98 फीसद हिस्सा विदेश से है और उसने उसमें कांग्रेस के शामिल होने का आरोप लगाया।

भाजपा की आइटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, 'पिछले 24 घंटे में यूट्यूब पर मन की बात वीडियो को नापंसद करने का संगठित प्रयास किया गया...कांग्रेस का विश्वास इतना कम है कि वह एक तरह की जीत के रूप में इसका जश्न मना रही है। हालांकि, यूट्यूब के डाटा बताते हैं कि नापंसद का महज दो फीसद हिस्सा ही भारत से है।' उन्होंने लिखा, 'हमेशा की तरह बाकी 98 फीसद हिस्सा भारत से बाहर का है। विदेश से बॉट्स और ट्विटर एकाउंट कांग्रेस के जेईई-नीट विरोधी अभियान का निरंतर हिस्सा रहे हैं। राहुल गांधी के तुर्कीवाले बॉट्स की गतिविधि बहुत बढ़ गई है। यह तुर्की आसक्ति क्या है, राहुल?' प्रदेश इकाइयों और अन्य विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के कई हैंडल ने 'मन की बात' वीडियो को 'नापंसद' करने का अभियान चलाया था।

संदिग्ध नक्सलियों ने की पुलिस अधिकारी की हत्या

बीजापुर, 31 अगस्त (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में संदिग्ध नक्सलियों ने एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी है।

बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जिले के कुटरू और नीमेड़ गांवों के बीच रास्ते में सहायक पुलिस निरीक्षक नगैया कोरसा (59) का शव बरामद किया है। सुंदरराज ने बताया कि पुलिस को आशंका है कि नक्सलियों के स्थानीय समूह ने पुलिस अधिकारी कोरसा की हत्या की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोरसा जिले के कुटरू थाने में पदस्थ थे।

रविवार को ड्यूटी के बाद उन्होंने सहयोगियों को बताया था कि वह अपने घर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब पुलिस अधिकारी के परिजनों का उनसे बहुत समय तक संपर्क नहीं हुआ तब इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। बाद में कोरसा की खोज में अभियान चलाया गया। सुंदरराज ने बताया कि कुछ समय बाद कोरसा की मोटरसाइकिल कुटरू से छह किलोमीटर दूर मंगापेट्टा गांव के करीब मिली। यह क्षेत्र नक्सलियों का प्रभाव वाला क्षेत्र है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोरसा का शव भी सोमवार को उसी क्षेत्र में बरामद किया गया।

SBI
इंटरनेट बैंकिंग विभाग, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर,
सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.

शुद्धिपत्र-3

कृपया "वेब/मोबाइल पेजेज/स्क्रीन्स परफॉर्मेन्स मॉनिटरिंग के लिए सेवाओं की प्राप्ति" दिनांक 02.03.2020 के लिए आरएफपी सं. SBI/GITC/CGM(C&O)/INB/2020/691 दिनांक: 02.03.2020 का संदर्भ लें। **शुद्धिपत्र-3** को अपलोड किया गया है तथा इन्हें बैंक की वेबसाइट **https:// www.sbi.co.in** पर '**प्रोक्योरमेन्ट न्यूज**' के अंतर्गत देखा जा सकता है।

बोलियां जमा कराने की अंतिम तिथि तथा समय: 09.09.2020 को दोपहर 3:00 बजे तक।

स्थान: नवी मुंबई
दिनांक: 01/09/2020

हस्ताक्षर
उप महाप्रबंधक (इंटरनेट बैंकिंग विभाग)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालयः अक्षरधाम, शकरपुर, दिल्ली-110092

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अक्षरधाम, दिल्ली शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 13.12.2019, जारी कर ऋणधारक श्रीमती दीप्ति तथा श्री दीपक शर्मा को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 17,20,865/- (रुपये सत्तरह लाख बीस हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) के साथ उपयचित ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 29.8.2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 17,20,865/- (रुपये सत्तरह लाख बीस हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अक्षरधाम, दिल्ली शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति सं.-सी-4/239, यमुना विहार, दिल्ली-110053, सम्पत्ति का क्षेत्रफल-35 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दीः
उत्तरः 5एम आर/डब्ल्यू रोड
दक्षिणः सर्विस लेन
पूर्वः एम.नं. 238
पश्चिमः एम. नं. 240

स्थानः दिल्ली
तिथिः 29.08.2020

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

NOTICE INVITING APPLICATION FOR ALLOTMENT OF SHOPS
SANTUSHTI SHOPPING COMPLEX, NEW DELHI

1. Air Officer Commanding, Air Force Station New Delhi, invites sealed application from resident Indian nationals for allotment of shops at Santushti Shopping Complex, New Willingdon Camp, Lok Kalyan Marg New Delhi-110003.

Shop No	Size	Shop No	Size	Shop No	Size
10	1132 sqft	14	425 sqft	18	413 sqft
19	753 sqft	22	273 sqft	23 & 24	378 sqft+ 395 sqft = 773 sqft

2. In this connection it may be noted that the previous advertisement on the subject matter dated 20 Jul 20 stands cancelled.

3. The period of allotment will be three years wef 01 Oct 2020. The shops will be allotted as per provision of **Defence Shopping Complex (Maintenance & Administration) Rules, 2006**.

4. The rates for allotment of the shop are fixed and will be charged as License Fee 160/- per sqft, Maintenance charges 60/- per sqft and GST @18%. In addition water & electricity charges will be charged as per consumption. The maintenance charge will be increased by 5% every year.

5. The application form can be collected from Santushti Shopping Complex Office, on all working days starting from **01 Sep 20 from 1000 hrs to 1630 hrs @ Rs 500/-** each (non-refundable). Earnest Money Deposit (EMD) equivalent to one month License fee i.e. (Area of shop X Rs 160/-psf) in the form of Demand draft/Bankers Cheque issued by any nationalized bank or ICICI, HDFC and AXIS Bank is to be drawn in favour of **"Santushti 412 Air Force Station New Delhi". Application form duly completed in all respect along with EMD, is to be** submitted to SSC office **on or before 1500 hrs by 15 Sep 2020**. Applications form without **EMD will be summarily rejected.**

6. Any clarification regarding allotment of Shops or any other issues for prospective allotees will be addressed at the office of Santushti Shopping Complex between 1100 hours to 1600 Hrs on all working days (Monday to Saturday) till 14 Sep 20. The scrutiny of application will be held at Air Force Station New Delhi on 16 Sep 2020. Applicants are to attend the process in person. No representative will be entertained. **The allotment of Shops by draw of lot, if applicable, will be held at 1500 Hrs on 18 Sep 2020 at Santushti Shopping Complex.**

7. For further details please contact Tele No. 011-24679220, Mobile No. 8130973799, or email on **santushtishoppingcomplex123@gmail.com**

8. Air Officer Commanding, Air Force Station, New Delhi, reserves the right to withdraw any shop and / or accept or reject any tender or application without assigning any reason.

हिन्दुस्तान अधेसिव लिमिटेड
कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L74899DL1988PLC031191
पंजीकृत कार्यालय : बी-2/2, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029
दूरभाष : 011-41650348, फैक्स : 011-26191358
ई-मेल : accounts@hindustanadhesives.com,
वेबसाइट : www.bagla-group.com

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की सूचना में उल्लिखित प्रकार्यों पर लेन-देन के लिए कम्पनी के शेयरधारकों की एजीएम वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (''वीसी/ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे प्रातः भारतीय मानक समय (''भा.मा.स.'') पर आयोजित की जायेगी। कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्रों दिनांक 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' सन्दर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') के परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 सहित 32वीं एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल उन सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी अथवा रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट तथा डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं।

इस उद्देश्य हेतु, हम उन शेयरधारकों से जिन्होंने अपने ई-मेल पते तथा स्थायी खाता संख्या अपडेट नहीं कराये हैं, कृपया अपने पैन कार्ड/आधार/वैध पासपोर्ट/शेयर प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ अपने फोलियो नं./डीपी/क्लाइंट आईडी, प्रमाणपत्र सं., पैन, मोबाइल नं., ई-मेल आईडी का उल्लेख करते हुए नीचे उल्लिखित लिंक का अनुपालन करके इसे पंजीकृत कराने का निवेदन किया जाता है।

सदस्यों के ई-मेल आईडी तथा बैंक विवरण पंजीकृत कराने की प्रक्रिया :

डीमैट धारिता	जिन सदस्यों के पास कम्पनी के इक्विटी शेयर डीमैट प्रारूप में हैं और जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं वे अपने ई-मेल पते कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लिंक http://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html पर क्लिक करके और उसमें निर्देशित पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करके अस्थायी रूप से पंजीकृत करा सकते हैं। किसी पूछताछ के लिए सदस्य मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के पास rnt.helpdesk@linkintime पर ई-मेल कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-मेल पते तथा अपने डीमैट खाते में बैंक विवरणों को स्थायी रूप से पंजीकृत कराने के लिए सदस्य अपने सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदार (''डीपी'') से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा परामर्शित प्रक्रिया का अनुपालन करें।
भौतिक धारिता	भौतिक प्रारूप में कम्पनी के इक्विटी शेयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल पता तथा/अथवा बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं कराया है वे अपने ई-मेल पते कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लिंक http://linkintime.co.in/email-reg/email_register.html पर क्लिक करके और उसमें निर्देशित पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करके अस्थायी रूप से पंजीकृत करा सकते हैं। किसी पूछताछ के लिए सदस्य मैसर्स लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के पास rnt.helpdesk@linkintime पर ई-मेल कर सकते हैं।

एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के माध्यम से समाप्त कर दी गयी हैं। अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, जिसमें 32वीं एजीएम की सूचा तथा व्याख्यात्मक विवरण शामिल है, कम्पनी की वेबसाइट www.bagla-group.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com पर उपलब्ध है। इसकी एक प्रति लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लि. की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग :

समय-समय पर यथासंशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के अनुपालन में भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत सामान्य बैठकों का सचिवीय मानक ('एसएस-2') तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी एजीएम में लेन-देन हेतु प्रकार्य के परिप्रेक्ष्य में अपने सदस्यों को पूर्व में रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है, इस उद्देश्य के लिए कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान की सुविधा हेतु लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लि. को नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग के विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। सदस्यों से निम्नलिखित पर ध्यान देने का निवेदन है :

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी :

रिमोट ई-वोटिंग प्रारम्भ होना	रविवार, 20 सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे प्रातः (भा.मा.स.)
रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होना	मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.)

इसके पश्चात लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लि. द्वारा मतदान हेतु ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा और कथित तिथि एवं समय के उपरान्त सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(क) सदस्यों के मताधिकार बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 ('कट-ऑफ तिथि') तक कम्पनी के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी के उनके अनुपात में होंगे। रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली की सुविधा बैठक के दौरान भी उपलब्ध करायी जायेगी, और बैठक में उपस्थित होने वाले वे सदस्य जिन्होंने पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, वे बैठक के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वे ही पूर्व में रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा के पात्र होंगे।

(ख) कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि तक कम्पनी के शेयर धारण करता है, वह https://instavote.linkintime.co.in पर निवेदन भेजकर या टोलफ्री नं. 011-41410592/93/94 तथा 022 - 49186000 पर कॉल करके तथा लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा.लि. द्वारा प्रावधानित के अनुसार enotices@linkintime.co.in ई-मेल भेजकर रिमोट ई-वोटिंग हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है उसे एजीएम की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए।

(ग) जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है वे भी बैठक में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भाग ले सकते हैं किन्तु पुनः मतदान के अधिकारी नहीं होंगे।

(घ) यदि ई-वोटिंग के सम्बन्ध में शेयरधारक की कोई पूछताछ या समस्या है तो आप https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ('एफएक्यू') तथा इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा enotices@linkintime.co.in पर ई-मेल कर सकते हैं या 022-49186000 पर कॉल कर सकते हैं।

(ङ) रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, कार्यरत कम्पनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है जो एजीएम की दौरान सम्पन्न हो सकती है।

(च) कृपया ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से एक बार अपना मतदान करने के पश्चात आप अपने मत को एजीएम में सशोधित नहीं कर सकते या मतदान नहीं कर सकते हैं। हालाँकि आप एजीएम में शामिल हो सकते हैं और परिचर्चा में भाग ले सकते हैं।

(छ) एतद्वारा यह पुनः कहा जा रहा है कि वे व्यक्ति जिनके नाम कट-ऑफ तिथि 16 सितम्बर, 2020 तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं।

(ज) एजीएम के दौरान की जाने वाली रिमोट ई-वोटिंग के समेकित परिणाम कम्पनी द्वारा एजीएम की तिथि के 2 दिनों के भीतर कम्पनी द्वारा घोषित किये जायेंगे और इसे कम्पनी तथा रिमोट ई-वोटिंग कम्पनी की वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जायेगी।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार पुनः सूचना दी जाती है कि वित्त वर्ष 2019-20 के एजीएम के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिका 17 सितम्बर, 2020 से 23 सितम्बर, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
हिन्दुस्तान अधेसिव लिमिटेड
ह./-
मधुसूदन बगला
(प्रबन्ध निदेशक)
डीआईएन : 01425646

तिथि : 31 अगस्त, 2020
स्थान : नई दिल्ली

PREMIER POLYFILM LTD.
Regd.Office: 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extn., Zamroodpur, New Delhi, 110048
CIN: L25209DL1992PLC049590, Phone : 011-29246481
Email: compliance.officer@premierpoly.com, Website: www.premierpoly.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015, a Meeting of Board of Directors of the company will be held on Monday, 14th September,2020 at 11.30 A.M. at Registered Office of the company at 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extension, Zamroodpur, New Delhi 110048 to consider and approve standalone Unaudited Financial Results of the company for the quarter ended 30th June ,2020 .

Further, trading window for dealing in the securities of the Company by the Insiders, as defined under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations,2015 is closed from Wednesday, 01st July,2020 to Wednesday,16th September,2020 (both days inclusive).

The notice is available on the Company's website www. premierpoly.com and also on www.bseindia.com and www.nseindia.com

Date : 28/08/2020
Place : New Delhi

For PREMIER POLYFILM LTD.
Sd/-
COMPANY SECRETARY

कॉंटिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: ए-2, उद्योग भवन के सामने, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राजस्थान)
CIN: L23201RJ1986PLC003704, फोन : 0141-2222232
ई: मेल: cs.conpetco@gmail.com, conpetco@gmail.com, वेबसाईट: www.contol.in

34वीं वार्षिक साधारण, ई-वोटिंग संबंधी सूचना एवं लेखा बही बंदीकरण के संबंध में सूचना

कॉंटिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और उसी के अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में और संबंधित सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 (सेबी (एलओडीआर) विनियमन'') के साथ कॉपरपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, तथा 5 मई 2020 को जारी आम परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 और 20/2020 (एमसीए परिपत्र) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी परिपत्र) के दिनांक 12 मई, 2020 परिपत्र संख्या सेबी /एचओ/ सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के अनतर्गत निदेशक मंडल ने सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य वीजुवल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा द्वारा 34 वीं एजीएम सूचना में दिए गए व्यवसायों को लेन-देन करने का निश्चित किया है।

एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के अनुसार, जिन सदस्यों के ई-मेल पते कम्पनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेन्ट या संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के पास पंजीकृत है। उन्हें ई-वोटिंग के साथ वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा 34 वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉग इन विवरण के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा 34 वीं एजीएम की सूचना सोमवार, 31 अगस्त, 2020 को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.contol.in स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 सेबी (एलओडीआर) विनियम की विनियम 44, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 तथा एमसीए परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में 34 वीं एजीएम की सूचना में दिए गए संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के लिए सीडीएसएल द्वारा सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पूर्व) तथा ई-वोटिंग (एजीएम) के दौरान की सुविधा प्रदान की गई है। रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 25 सितम्बर 2020 प्रात: 9:00 भारतीय मानक समय को प्रारम्भ होगी तथा 27 सितम्बर, 2020 को सायं 5:00 बजे भारतीय मानक समय को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते है। तद्उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा मतदान करने के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना मतदान कर दिया है। वे भी वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते है, पर वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सुविधा द्वारा पुनः मदतान नहीं कर सकेंगे।

एक बार सदस्य एक प्रस्ताव पर मतदान करते है तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा एजीएम में शामिल होने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के विस्तृत निर्देश 34 वीं एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है। श्री महेन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल, कंपनी सचिव, जयपुर को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से आयोजित करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

सदस्यों को वोटिंग अधिकार सोमवार, 21 सितम्बर 2020 (कट-ऑफ तिथि) को कंपनी के पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी के अपने शेयरों के अनुपात में होंगे। एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टार में या कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है वे ही केवल एजीएम में शामिल होने के लिए अधिकृत होंगे, रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है। इस नोटिस को केवल सूचना जानकारी के उद्देश्य से समझे।

कोई व्यक्त, जो एजीएम की सूचना को इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तिथि के बाद शेयरों का स्वामित्व रखता है वे 34 वीं एजीएम की सूचना में लिखे हुए निर्देशों का पालन कर अपना लॉग-इन आई डी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। अथवा हालांकि यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वह अपना वर्तमान का यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर मतदान कर सकता है। यदि आपने कंपनी/ डीपी के साथ अपना ई-वोटिंग के लिए लॉग इन विवरण प्राप्त कर सकते है।

भौतिक रूप से धारित किए हुए	ई-मेल पते को पंजीकरण कराने के लिए कृपया एक निवेदन बीटल फाईनेन्स एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि., रजिस्ट्रार तथा शेयर एजेंट को beetal@beetalfinancial.com पर अपना नाम, फोलियो संख्या, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति (फण्ट और बैक), पैन कार्ड, आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन प्रतिलिपि भेजे।
डीमैट रूप से धारित किए हुए	कृपया अपने डीपी से संपर्क करें तथा डीपी की सलाह अनुसार प्रक्रिया अपनाकर डीमैट खाते में अपने ई-मेल पते को पंजीकृत कराएं

इसके साथ, अधिनियम की धारा 91 तथा इसके तत्थावधान में नियम और सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तक मंगलवार 22 सितम्बर, 2020 से सोमवार 28 सितम्बर 2020 तक (दोनो दिवस सम्मिलित) 34 वीं एजीएम के कारण बंद रहेगी।

एजीएम के समापन से 48 घंटों के भीतर अर्थात् 30 सितम्बर, 2020 को या उससे पहले परिणाम घोषित किया जाएगा और घोषित परिणाम समेकित पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट www.contol.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर डाला जाएगा।

ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर निवेदन भेजे अथवा श्री नितिन कुंदर (022-23058738) या श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से संपर्क करें।

ई-वोटिंग सुविधा से जुड़ी हुई कोई भी समस्या के लिए श्री राकेश दलवी (सीडीएसएल), ए-विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउण्ड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 या मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com या 022-23058542/43 पर संपर्क करें

स्थान: जयपुर
दिनांक : 29.08.2020

वास्ते- कॉंटिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड
मदनलाल खण्डेलवाल (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक) DIN: 00414717

एकेएम लेस एंड एम्ब्रोटेक्स लिमिटेड
CIN NO.: L17291DL2009PLC196375
पंजीकृत कार्यालयः IX/6024, राम गली, सुभाष मोहल्ला, गांधी नगर, दिल्ली पूर्व दिल्ली डीएल 110031
ईमेलः akmlace@gmail.com, वेबसाईटः www.akmlace.com
फोनः 011-49856126

11वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी एवं पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एकेएम लेस एंड एम्ब्रोटेक्स लिमिटेड के सदस्यों की 11वीं वार्षिक साधारण सभा सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे पूर्वा. में 314, आर.जी. मॉल, सेक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली-110085 में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

कम्पनी की एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यवसायों के सिलसिले में मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिये अधिकृत सदस्यों के मताधिकार सुनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिये कम्पनी के वार्षिक रिपोर्ट की प्रति के साथ एजीएम आमंत्रण सूचना ऐसे सभी सदस्यों जिन्होंने अपने ईमेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास पंजीकृत कराये हों, को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (ईमेल) से प्रेषित की गई है तथा अन्य सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भौतिक पद्धति में भेजी गई है। मुद्रित उपस्थिति पर्